



2026:AHC:40627

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7240 वर्ष 2026

ओम प्रकाश एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 9 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : गिरिजा शंकर प्रजापति, सौरभ श्रीवास्तव
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता/याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी कर इस याचिका को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से स्वयं को व्यथित अनुभव करता/करती है, तो उसे इस आदेश में संशोधन/परिवर्तन कराने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है कि प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाए कि वे दिनांक 08.09.2025 को प्रस्तुत आवेदन, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत दाखिल है, का यथाशीघ्र निस्तारण करें।
4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अंतर्गत दाखिल आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस चरण पर यह उपयुक्त होगा कि उक्त प्रावधान का उल्लेख किया जाए, जिसके अनुसार ऐसे आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर संबंधित प्राधिकारी को विधि के अनुसार समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना अपेक्षित है। धारा 24 की उप-धारा (3) इस प्रकार है—

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“(3) इस धारा के अंतर्गत प्रत्येक कार्यवाही, जहाँ तक संभव हो, आवेदन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर उप-जिलाधिकारी द्वारा संपन्न की जाएगी।”

5. उपर्युक्त प्रावधान तथा पक्षकारों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आलोक में प्रतिवादी संख्या-2/उप-जिलाधिकारी, तहसील जसराना, जनपद फिरोजाबाद को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त आवेदन को ग्रहण कर उसके गुण-दोष के आधार पर, विधि के अनुसार, यथाशीघ्र तथा यथासंभव इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर निस्तारित करें। तथापि, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के तर्कों के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त नहीं किया गया है।

23 फरवरी, 2026

सकलैन

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।